उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-956/सत्तर-3-2015-बी0एड0(05)/2014
लखनऊ : दिनाँक- जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा- 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29, सन 1974) द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या- 10, सन् 1973) की धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या मि.51-1/2014 (राअशिप (मान्यता तथा मानदण्ड) दिनांक 28 नवम्बर, 2014, भारत का राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 के अंक संख्या 346 में प्रकाशित तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका न0 13040/2010 तथा रिट पिटीशन (सिविल) नं0 276/2012 में पारित आदेशों के अनुसार संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश बनाते है:-

उत्तर प्रदेश, राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) (दसवाँ संशोधन) आदेश, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) (दसवाँ संशोधन) आदेश, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह शिक्षा सत्र 2015-16 से प्रवृत्त होगा।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 में, जिसे आगे उक्त आदेश कहा गया है, पैरा 3 में नीचे स्तम्भ- 1 में दिये गये विद्यमान पैरा के स्थान पर स्तम्भ- 2 में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात:

	स्तम्भ- 1 विद्यमान पैरा	स्तम्भ- 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा
पैरा-3 का संशोधन	(3) बी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत होगी:- (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि	(3) बी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत होगी - (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान/मानविकी में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान तथा गणित में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी या

और
(ख) अन्य अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा उनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है।
(ख) अन्य अभ्यर्थियों के मामले में, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में स्नातक की उपाधि तथा/अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि या विज्ञान तथा गणित में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है।

पैरा-4 का संशोधन 3- उक्त आदेश में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान पैरा

4.1- प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी ही होगी जितनी इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्धारित की जायें और किसी भी व्यक्ति का किसी भी दशा में उस संख्या से अधिक भर्ती नहीं किया जायेगा। प्रवेश दिलाये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने में उप कुलपति बी0एड0 के शिक्षा निदेशों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध अध्यापकों पर विचार करेगा। जिससे कि अध्यापक-शिष्य का अनुपात 1:15 पर बरकरार रखा जाये।

2-(क) बी0एड0 प्रशिक्षण के लिए विज्ञान स्नातकों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या उप कुलपति द्वारा बी0एड0 विभाग में विज्ञान अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी ताकि अध्यापक-शिष्य के अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जाए बशर्ते वह महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दे

उसमें बी0एस0सी0 स्तर तक विज्ञान की कक्षाए हैं।

अथवा

उसमें स्वयं बी0एड0 विभाग में ही हाईस्कूल स्तर तक की विज्ञान प्रयोगशाला हैं।

अथवा

वह विद्यालय, जिसमें वास्तविक अध्यापन दिया जाता है, में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा

4.1 प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी ही होगी जितनी इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्धारित की जायें और किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में उस संख्या से अधिक भर्ती नहीं किया जायेगा। प्रवेश दिलाये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने में कुलपति बी0एड0 के शिक्षा निर्देशों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध अध्यापकों पर विचार करेगा जिससे कि अध्यापक शिष्य का अनुपात 1:15 पर बरकरार रखा जाए।

2-(क) बी0एड0 प्रशिक्षण के लिए विज्ञान स्नातकों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या कुलपति द्वारा बी0एड0 विभाग में विज्ञान अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी ताकि अध्यापक शिष्य के अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जाए बशर्ते वह महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दे

उसमें बी0एस0सी0 स्तर तक विज्ञान की कक्षाए हैं।

अथवा

उसमें स्वयं बी0एड0 विभाग में ही हाईस्कूल स्तर तक की विज्ञान प्रयोगशाला है।

अथवा

विद्यालय, जिसमें वास्तविक अध्यापन दिया जाता है, में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान की मान्यता प्राप्त है।

(ख) बी0एड0 के प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त

की मान्यता प्राप्त है।

(ख) बी0एड0 के प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त खण्ड (क) में उल्लिखित महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालय विज्ञान स्नातकों को प्रवेश नहीं देंगे भले ही उनके पास अपने बी0एड0 स्टाफ में विज्ञान अध्यापक क्यों न हो।

3 बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश उस समय 5 प्रतिशत तक प्रदान किया जायेगा जब वह अभ्यर्थी पैरा 3 के अधीन तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के पात्र हों। यदि मेरिट सूची के आधार पर अन्य राज्यों के पात्र अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

खण्ड (क) में उल्लिखित महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालय विज्ञान स्नातकों को प्रवेश नहीं देंगे भले ही उनके पास अपने बी0एड0 स्टाफ में विज्ञान अध्यापक क्यों न हो।

3- बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश उस समय 5 प्रतिशत तक प्रदान किया जायेगा जब ऐसे अभ्यर्थी पैरा 3 के अधीन तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के पात्र हों। यदि मेरिट सूची के आधार पर अन्य राज्यों के पात्र अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

(4) (क) पाठ्यक्रम अवधि तथा कार्यदिवस.

अवधि:

(1) बी0एड0 कार्यक्रम, दो शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा, जिसे कार्यक्रम में प्रवेश के दिनांक से लेकर अधिकतम तीन वर्ष में पूर्ण किया जा सकता है।

कार्यदिवस:

(2)(क) परीक्षा तथा प्रवेश की अवधि को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ (200) कार्य दिवस होगें। इसमें परीक्षाओं तथा प्रवेश की अवधि सम्मिलित नहीं है।

(ख) संस्थाएं प्रति सप्ताह कम से कम 36 घंटे (पांच या छः दिन) कार्य करेंगी जिस दौरान सभी अध्यापक तथा छात्र-अध्यापक को वास्तविक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, ताकि आवश्यकतानुसार सलाह, मार्गदर्शन, संवाद तथा परामर्श सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) सभी पाठ्यचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिए छात्र-अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90 प्रतिशत होगी।

पैरा-6 का संशोधन

4- उक्त आदेश में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये पैरा-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान पैरा	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा
6 (1) प्रत्येक अभ्यर्थी बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कार्यालय में अथवा अन्य निर्धारित स्थानों से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है इसमें	6 (1) प्रत्येक अभ्यर्थी बी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कार्यालय में अथवा अन्य निर्धारित स्थानों से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा अभ्यर्थी ऐसी अन्य

आम अभ्यर्थियों रीति से करेगा। प्रवेश के लिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि सामान्यतः 31 मई अथवा जून मास में ऐसी तिथि होगी, जो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय विहित करें।

(2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(3) ऐसी तिथि, जैसी कि इस निमित्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाय, के पश्चात् कुलसचिव के कार्यालय में प्राप्त किये गये किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

रीतियों से प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे जैसा कि प्रवेश परीक्षा आयोजक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा विहित किया जाय।

(2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पंजीकृत डाक अथवा आन लाइन भेजा जायेगा।

(3) प्रवेश तथा प्रवेश परीक्षा हेतु समयसारणी निम्नानुसार होगी

(एक) विज्ञापन का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 फरवरी को।

(दो) आवेदन पत्रों की बिक्री / आनलाइन आवेदन करने की समयावधि प्रत्येक वर्ष दिनांक 10 फरवरी से 10 मार्च।

(तीन) प्रवेश परीक्षा की तिथि– प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल से 25 अप्रैल।

(चार) परिणाम की घोषणा– दिनांक 25 मई से 30 मई।

(पांच) काउन्सिलिंग का प्रारम्भ तथा समापन दिनांक 01 जून से 25 जून।

(छः) प्रवेश की अन्तिम तिथि– दिनांक 28 जून।

(सात) शैक्षणिक सत्र का आरम्भ–दिनांक 01 जुलाई।

(4) प्रत्येक वर्ष काउन्सिलिंग प्रक्रिया में केवल ऐसे महाविद्यालयों को ही सम्मिलित किया जायेगा, जिन्हें उस वर्ष के दिनांक 10 मई तक सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय से मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त हो।

(5) प्रवेश हेतु 25 दिन की एक काउन्सिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी, परन्तु यदि काउन्सिलिंग के दौरान प्रवेश हेतु संस्तुत कोई अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो काउन्सिलिंग प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों को अन्य सीट सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रवेश हेतु संस्तुत करेगा।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवेश परीक्षा उपरान्त महाविद्यालयों की सभी सीटों की पूर्ति काउन्सिलिंग के माध्यम से हो सके, महाविद्यालयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी वेबसाइट प्रतिदिन अद्यतन (अपडेट) करें, तथा प्रवेशित विद्यार्थियों तथा रिक्त स्थानों का विवरण कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के साथ, बैंक खाता आदि के विवरण के साथ वेबसाइट पर

प्रदर्शित करेंगे, साथ ही साथ:

(एक) काउन्सिलिंग के दौरान महाविद्यालय प्रतिदिन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश के उपरान्त रिक्त सीटों का विवरण अद्यतन (अपडेट) करेंगे। साथ–साथ महाविद्यालय प्रतिदिन के आधार पर उक्त विवरण की सूचना ई मेल/ टेलीफोन/ फैक्स द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सूचित करेंगे।

(दो) प्रत्येक महाविद्यालय अपने बैंक एकाउन्ट नम्बर तथा नाम को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा तथा उसकी सूचना आयोजक राज्य विश्वविद्यालय को भी देगा।

कोई भी अभ्यर्थी जिसे कोई महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित होता है वह अपना शुल्क महाविद्यालय के खाते में सीधे सी0बी0एस0 के माध्यम से काउन्सिलिंग तिथि से तीन कार्य दिवस की समयावधि में जमा करेगा। तत्पश्चात वह अभ्यर्थी महाविद्यालय का शुल्क जमा करने का प्रमाण सम्बन्धित महाविद्यालय तथा आयोजक राज्य विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। सम्बन्धित महाविद्यालय उक्त को अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थी के विवरण सहित प्रदर्शित करेगा तथा तदनुसार आयोजक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय वार आवंटित तथा रिक्त स्थानों की सूचना को प्रतिदिन अद्यतन करेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी को महाविद्यालय, जिसमें उसे प्रवेश हेतु संस्तुत किया गया है, के सी0बी0एस0 एकाउन्ट में शुल्क जमा करने में कठिनाई होती है तो वह तत्काल आयोजक राज्य विश्वविद्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय अथवा सम्बन्धित जिला अधिकारी से सम्पर्क करेगा।

(7) काउन्सिलिंग प्रक्रिया के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:

(एक) काउन्सिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त पाँच हजार अभ्यर्थियों अथवा आवश्यकतानुसार उससे अधिक अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा सूची मूल आयोजक राज्य

विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जायेगा। प्रतीक्षा सूची पूल मे अभ्यर्थियों को उनकी प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा तथा मेरिट के अनुसार ही रिक्त सीटों के सापेक्ष आवंटन किया जायेगा।

(दो) प्रतीक्षा सूची पूल में पंजीकृत होने वाले अभ्यर्थियों को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी, कि उन्हें ऐसे किसी भी महाविद्यालय में भेजा जा सकता है, जहाँ प्रवेश स्थान रिक्त है तथा इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतीक्षा सूची पूल के अभ्यर्थियों को उक्त वचनबद्धता के साथ आयोजक राज्य विश्वविद्यालय में निर्धारित प्रवेश शुल्क भी जमा करना होगा, जो उनके द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश न लेने पर आयोजक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय के खाते में प्रेषित कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित शैक्षिक सत्र मे आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश स्थान रिक्त रहें। प्रतीक्षा सूची पूल से प्रवेश की उक्त समस्त प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष दिनांक 08 जुलाई तक पूर्ण की जायेगी। प्रतीक्षा सूची पूल से रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग समाप्ति के तीन दिवसों की समयावधि में केवल महाविद्यालयों के अनुरोध पर ही कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी प्रवेश सत्र में दिनांक 08 जुलाई के उपरान्त आयोजक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों का आवंटन नही किया जायेगा।

(तीन) किसी प्रवेश सत्र मे दिनांक 08 जुलाई के उपरान्त महाविद्यालयों में रिक्त रह गयी सीटों को भरने हेतु आयोजक राज्य विश्वविद्यालय उनकी सूचना अपनी वेबसाइट पर तथा जनसामान्य के लिए नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करेगा एव उसकी एक प्रति शासन को भी प्रेषित करेगा। साथ ही साथ आयोजक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रसार वाले तीन समाचार पत्रो मे इस आशय का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा कि उस सत्र की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी जिनका नाम प्रतीक्षा सूची पूल में अंकित है तथा जिन्हें किसी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नही हो सका है, वे सीधे अपने इच्छित विकल्पानुसार ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करेंगे, जिनमे प्रवेश स्थान रिक्त

है। तदनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को उनकी मेरिट के अनुसार व्यवस्थित करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश की कार्यवाही की जायगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो महाविद्यालय द्वारा आयोजक राज्य विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जायगा। तत्पश्चात भी सीटों को भरने के सम्बन्ध में यदि कोई अनपेक्षित कठिनाई (Unforeseen Difficulty) उत्पन्न होती है तो महाविद्यालय प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा / अथवा आयोजक विश्वविद्यालय से सीटों को भरने के लिए सम्पर्क करेंगे, जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा आयोजक विश्वविद्यालय की प्रतीक्षा सूची पूल से विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु 03 कार्य दिवस में आवंटन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

(चार) किसी प्रवेश सत्र में दिनांक 15 जुलाई के उपरान्त बी0एड0 पाठ्यक्रम में कोई प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(8) आयोजक राज्य विश्वविद्यालय ऑन लाइन सहायता सेवा स्थापित करेगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों की शिकायतों का समाधान किया जायेगा।

सभी सम्बन्धित महाविद्यालय भी पृथक रूप से अपनी हेल्प लाइन स्थापित करेंगे।

प्राप्त शिकायतों को आयोजक राज्य विश्वविद्यालय सम्बन्धित महाविद्यालय को समाधान हेतु भेजेगा। शिकायतों का समाधान नहीं होने पर आयोजक राज्य विश्वविद्यालय सम्बन्धित महाविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगेगा। तथा महाविद्यालय स्तर पर शिकायतों निराकरण में चूक अथवा भूल पाये जाने पर उसे राज्य सरकार को महाविद्यालय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा।

पैरा–7 का संशोधन 5– उक्त आदेश में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये पैरा 7 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान पैरा	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा
7– बी0एड0 के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी राज्य विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। परीक्षा की तिथि का अवधारण	(7) बी0एड0 के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी राज्य विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान पैरा	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा
(क) यदि एफिलियेटेड पाधित संस्थाओं के राज्य स्तरीय संघ द्वारा बी0एड0 के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है तो इस परीक्षा की तिथि राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की तिथि से भिन्न होगी।	(7) (क) विलोपित।

पैरा–13 का संशोधन

6– उक्त आदेश में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये पैरा 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–1 विद्यमान पैरा	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा
(1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम में पांच महाविद्यालयों के नाम इंगित कर सकता है। यदि श्रेष्ठता सूची के आधार पर इंगित महाविद्यालयों में अभ्यर्थी का प्रवेश दिया जाना सम्भव न हो तो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय उसे किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिये स्वतंत्र होगा। (2) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा पैरा–12 में यथा इंगित श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी जिसमें प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा पैरा–11 के अधीन मदों के विवरण सहित प्राप्त अतिरिक्त अंक स्पष्ट रूप से रासूचित होंगे।	13 (1) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा पैरा 12 में यथा इंगित श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी जिसमें प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा पैरा–11 के अधीन मदों के विवरण सहित प्राप्त अतिरिक्त अंक स्पष्ट रूप से सभी विद्यार्थियों के सूचनार्थ राज्य प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट तथा आयोजक विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर उत्तर कुंजियों सहित प्रदर्शित करेगा। (2) बी0एड0 पाठ्यक्रम की उपलब्ध सभी सीटों पर प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त आयोजित की जाने वाली काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे।

पैरा–14 का संशोधन

7– उक्त आदेश में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये पैरा–14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान पैरा	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पैरा
(क) सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करने के उपरान्त उन्हें प्रवेश देंगे। (ख) अनन्तिम प्रमाण–पत्र, विशेषकर पैरा 11 के अन्तर्गत अंकों के लिये स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (ग) किसी अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से प्रवेश से अस्वीकार करने के पूर्व प्राचार्य को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के पूर्व राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (घ) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला	14 (क) सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करने के उपरान्त उन्हें प्रवेश देंगे। (ख) अनन्तिम प्रमाण–पत्र, विशेषकर पैरा 11 के अन्तर्गत अंकों के लिये स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (ग) किसी अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से प्रवेश से अस्वीकार करने के पूर्व प्राचार्य को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (घ) प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश से पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात

राज्य विश्वविद्यालय एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा। यदि कक्षाएँ प्रारम्भ होने के एक मास के भीतर कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जायेगी। रिक्त स्थानों को भरने हेतु महाविद्यालयों और अभ्यर्थियों को सूचना भेजने का उत्तरदायित्व प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय का होगा

(ड) प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश से पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के होने के कारण अध्यापक होने के अयोग्य नहीं है।

का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है और कान, आँख या किसी अन्य अंग में बीमारी होने के कारण अध्यापक होने के अयोग्य नहीं है।

आज्ञा से,

(अनिल गर्ग)
सचिव।

UTTAR PRADESH SHASHAN
UCHCHA SHIKSHA ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 956/LXX-3- B.Ed(05)/2014 dated 16 June, 2015:

NOTIFICATION

NO. 956/LXX-3-B.Ed(05)/2014
LUCKNOW- Dated 16 June, 2015

In exercise of the powers under sub-section (5) of section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enacted and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 29 of 1974) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following order with a view to amending the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of Admission to Course of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent Colleges) Order, 1987 in accordance with the National Council for Teacher Education Notification no. M.51-1/2014 (National Council for Teacher Education Notification Recognition & Norms) dated Number 28, 2014 published in edition no.346 of the Gazette of India: Extraordinary Part-III Vol.4 dated December 01, 2014 and the orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition No. 13040/2010 and Writ Petition (Civil) No. 276/2012:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (REGULATION OF ADMISSION TO COURSES OF INSTRUCTION FOR DEGREE IN EDUCATION IN AFFILIATED AND CONSTITUENT COLLEGES) (TENTH AMENDMENT) ORDER, 2015.

Short title and commencement

1.(1) This Order may be called the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent Colleges) (Tenth Amendment) Order, 2015..

(2) It shall come into force with effect from the academic session 2015-2016.

2. In the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent Colleges) Order, 1987, hereinafter referred to as the said Order, in para 3 for the existing sub para(1) set out in Column- I below the sub para as set out in column-II shall be substituted, namely :-

	Column-1 Existing para	Column-2 para as hereby substituted
Amendment of para-3	(1) The minimum educational qualification requisite for the admission in B.Ed. Classes shall be:- (a) A graduate degree of university established by law in case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes and (b) A graduate or post graduate degree of University established by law with a minimum of 45% marks in case of other candidates and a concession of 5% at degree level in the minimum qualification shall be given to the candidates who are of impaired vision seeking admission to B.Ed. course.	(1)The minimum educational qualification requisite for the admission in B.Ed. Classes shall be:- (a) In case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. candidates having a Bachelor's Degree and/or a Master's Degree in Sciences/Social Sciences/ Humanities. Bachelor's Degree in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics or any other qualification equivalent thereto. are eligible for admission. (b) In case of others. candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree and/or a Master's Degree in Sciences/Social Sciences/Humanities. Bachelor's degree in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto. are eligible for admission.

Amendment of para 4

3. In the said order, for para 4 set out in Column-I below, the sub para 4(a) as set out in Column-II shall be substituted namely :-

Column-1 Existing para	Column-2 para as hereby substituted
4.(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such. as may be. prescribed by the Vice-Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-chancellor shall take into account the teacher available in the college concerned for B.Ed. instructions so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1:15. (2) (a). Number of seats for admission to science graduates for B.Ed. training will be allotted by the Vice-Chancellor on the basis of availability of Science teacher in the B.Ed. Department so that teacher-pupil ratio is maintained at 1:15 provided such college fulfils the following conditions: It has Science classes up to B.Sc.	4.(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such. as may be. prescribed by the Vice Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-chancellor shall take into account the teacher available in the college concerned for B.Ed. instructions so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1:15. (2) (a). Number of seats for admission to science graduates for B.Ed. training will be allotted by the Vice-Chancellor on the basis of availability of Science teacher in the B.Ed Department so that teacher-pupil ratio is maintained at 1:15 provided such college fulfils the following conditions: It has Science classes up to B.Sc.

Standard.	Standard.
or	or
It has high school standard science laboratory in the B.Ed. department itslef.	It has high school standard science laboratory in the B.Ed. department itslef.
or	or
The school in which actual teaching training is given has science recognition of high school standard.	The school in which actual teaching training is given has science recognition of high school standard.
(b) The colleges, other than the colleges mentioned in clause (a) recognised for B.Ed. training shall not admit Science graduates even if it has science teachers on its B.Ed. staff.	(b) The colleges, other than the colleges mentioned in clause (a) recognised for B.Ed. training shall not admit Science graduates even if it has science teachers on its B.Ed. staff.
(3) The admission in the candidates of outside states shall be given up to 5 percent if such candidates are eligible for admission on the basis of the merit list prepared under para 3. If the eligible candidates of other states on basis of merit list are not available for admission the seats so reserved for them shall be filled by general candidates .	(3) The admission in the candidates of outside states shall be given up to 5 percent if such candidates are eligible for admission on the basis of the merit list prepared under para 3. If the eligible candidates of other states on basis of merit list are not available for admission the seats so reserved for them shall be filled by general candidates.
	(4) (a) Duration and Working Days **Duration:-** **(1) The B.Ed. programme shall be of a duration of two academic years, which can be completed in a maximum of three years from the date of admission of programme.** **Working Days:** **(2)(a) There shall be at least two hundred (200) working days each year exclusive of the period of examination and admission.** **(b) The institution shall work for a minimum of 36 hours in a week (5 or 6 days), during which physical presence in the institution of all the teachers and student-teachers is necessary to ensure their availability for advice, guidance, dialogue and consultation as and when needed.** **(c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, 90% for school internship.**

Amendment of para 6

4. In the said order, for para 6 set out in Column-I below, the para as set out in Column-II shall be substituted namely :-

Column-1
Existing para

6(1) Every candidate for admission to B.Ed. classes shall apply in the manner hereinafter provided in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the State University conducting entrance test or other prescribed places on prescribed fee. The last date for applying for admission shall ordinarily be the 31st day of May or such date in the month of June as the State University conducting entrance test may prescribe.

(1) The candidate shall send the application form by Registered post to the Registrar of the State University conducting entrance test.

(2) No application received in the office of the Registrar after such date as may be prescribed by the University in this behalf shall be entertained.

Column-2
para as hereby substituted

6(1) Every candidate for admission to B.Ed. classes shall apply in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the State University conducting entrance test or other designated places on prescribed fee or the candidate shall apply for the entrance test in such other manners as may be prescribed by the State University conducting entrance test.

(2) The candidate shall send the application form by Registered Post or through online to the Registrar of the State University conducting entrance test.

(3)The time schedule for the admission and entrance examination shall be as follows:-

(i)Publication of Advertisement- 1st February every year.

(ii) Period for Sale of Application Forms/ Online Application- 10th February to 10th March every year.

(iii) Date of Entrance Examination- between 20th April to 25th April every year.

(iv) Declaration of Results- between 25th May to 30th May.

(v) Commencement and Completion of counselling- 1st June to 25th June.

(vi) Last date of Admission- 28th June.

(vii)Commencement of Academic Session- 1st July.

(4) Only such colleges shall be included in the counselling procedure every year that obtain recognition/affiliation from the State University concerned till 10th May of that year.

(5) Every year counselling shall be conducted for 25 days but in case candidates recommended for admission during the counselling do not report to the colleges allotted to them, another set of candidates shall be recommended for admission to the college concerned by the counselling authority on getting such information.

(6) In order to ensure that all the seats are filled through counselling after the entrance examination, it will be necessary for

the colleges to update their website daily and display on their website the details of admitted candidates and vacant seats along with the sanctioned admission intake, details of Bank Account etc. along with this:

(i) During the counselling the colleges shall update every day the details of seats remaining vacant after the admission on their official website. Simultaneously, the colleges shall intimate the aforesaid details to the Registrar of the State University conducting entrance test through e-mail /telephone/fax.

(ii) Every college shall display on its website its Bank Account Number and name and shall also inform the same to the State University conducting entrance test.

Any candidate who is allotted a college through the counselling after the entrance examination shall deposit his fee in the Account of the college through CBS within the period of three working days from the date of counselling. Thereafter the candidate shall produce the proof of fee deposited before the college concerned as well as the State University conducting entrance examination. The college concerned shall display the same on its website along with the details of candidate and accordingly the State University conducting entrance test shall update the information regarding college wise allotted and vacant seats every day.

In case any candidate finds difficulty in depositing fee in the CBS account of the college to which his admission has been recommended, he shall immediately contact the State University conducting entrance test the College concerned or the District Magistrate concerned.

(7) In case seats remain vacant after the counselling procedure is over, following procedure shall be adopted:

(i) Besides the candidates admitted through counselling procedure, a wait-listed pool of five thousand candidates or more as per requirement shall be prepared. The candidates in the wait-listed pool shall be arranged in order of their merit of the entrance examination and allotted against the vacant

seats in order of their merit alone.

(ii) The candidates registered in the wait listed pool shall have to submit an undertaking to the effect that they may be sent to any such college where seats are vacant and they shall have no objection to it. The candidates of the wait-listed pool shall have to deposit the prescribed admission fee with the State University conducting entrance test along with such undertaking which, in the event the candidate fails to take admission against the allotted seat, shall be remitted by the State University conducting entrance test to the account of the allotted college, provided that the seats remain vacant in the allotted college in the academic session concerned. The entire procedure of admission from the wait-listed pool shall be completed every year by 8th July. The action for admission to the vacant seats from the wait-listed pool shall be taken only on the request of the colleges made within three days after the end of counselling but in any admission session, the State University conducting entrance test shall not allot candidates after 8th July.

(iii) In order to fill up the vacant seats remaining in the colleges after 8th July in any admission session, the State University conducting entrance test shall intimate them on its website and display on the notice board for the public and send a copy of the same to the State Government. Alongwith this, an advertisement in the newspapers having wide circulation in the State shall be published by the State University conducting entrance test to the effect that such candidates who appeared in the entrance examination of that particular session and are enrolled in the wait-listed pool and could not get admission in any college may apply directly to the Colleges of their choice where seats are vacant. The applications thus received from the candidates shall be arranged in order of merit and admissions shall be made against the vacant seats accordingly. In case any difficulty arises in this regard, the College shall contact the State University conducting the entrance test. Even after that, in case any

unforeseen difficulty arises in filling of seats, the Colleges shall contact the Principal Secretary/Secretary, Higher Education, Government of Uttar Pradesh and/or the State University conducting the entrance test for filling up the seats and the State Government shall direct the State University conducting the entrance test to allot the candidates from the wait-listed pool within 03 working days.

(iv) In any admission session, no admission shall be given to the B.Ed. course after 15th of July.

(8) The State University conducting entrance test shall provide online help service through which grievances of the candidates shall be redressed.

All the colleges concerned shall independently establish their own helpline.

The State University conducting entrance test shall send the grievances received to the college concerned for their redressal. In case the grievance is not redressed, the State University conducting entrance test shall seek explanation from the college concerned and in case of failure in redressing the grievance or any lapse on the part of the college, the matter shall be forwarded to the State Government for necessary action against the college.

Amendment of para 7

5. In the said order, for para 7 set out in Column-I below, the para as set out in Column-II shall be substituted namely :-

Column-1 Existing para	**Column-2 para as hereby substituted**
7 – Joint entrance examination will be conducting by a State University authorised by the State Government for admission to B.Ed. courses in each academic session. The date of examination will be determined by the State Government. (a) In case the entrance examination for admission to B.Ed. course is conducted by the state level association of self-financing institutions, the date of this	7- Joint entrance examination will be conducted by a State University authorised by the State Government for admission to B.Ed. courses in each academic session.

examination shall be other than the date of examination conducted by the State University.

Amendment of para 13

6. In the said order, for para 13 set out in Column-I below, the para as set out in Column-II shall be substituted namely :-

Column-I Existing para	Column para as hereby substituted
13(1) Each candidate may indicate five names of the colleges in order of priority in his application form. If it is not possible to admit the candidate in the indicated colleges on the basis of merit list then the State University conducting entrance test shall be free to give him admission in some other college. (2) The merit list shall be prepared by the State University conducting entrance test as indicated in para-12 clearly indicating the marks obtained in admission Examination and extra marks obtained along with details of the items under para-11:	13(1) The merit list shall be prepared by the State University conducting entrance test as indicated in para-12 clearly indicating the marks obtained in Entrance Examination and extra marks obtained along with details of the items under para-11which shall be displayed for the information of all the candidates on the websites of the State Entrance Examination and the State University conducting entrance test along with the answer keys. (2) Admission to all the seats available for B.Ed. course shall be made through the counselling held after the State level entrance examination.

Amendment of para 14

7. In the said order, for para 14 set out in Column-I below, the para as set out in Column-II shall be substituted namely :-

Column-1 Existing para	Column-2 para as hereby substituted
(a) The principal of the concerned college shall give admission to the candidates after verifying their original certificates. (b) The provisional certificate specially for the marks under para-11 shall not be accepted. (c) The principle has to take prior approval of the Vice Chancellor of the State University conducting entrance test finally refusing admission to any candidate. (d) The State University conducting entrance test shall also prepare a waiting list. If any seat falls vacant within a month after the classes have started it will be filled from waiting list. It shall be the responsibility of the State University conducting entrance test to intimate the	(a) The principal of the concerned college shall give admission to the candidates after verifying their original certificates. (b) The provisional certificate specially for the marks under para-11 shall not be accepted. (c) The Principle has to take prior approval of the Vice Chancellor of the State University conducting entrance test finally refusing admission to any candidate. (d) Every candidate selected for admission shall, before his admission, have to furnish a certificate counter-signed by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and is not unfit to be a teacher on account of any disease of the ear, eye or any other limb.

college and the college to fill the vacant seats.

(e) Every candidate selected for admission shall before admission have to furnish a certificate counter signed by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and on account of any disease of the ear, eye or any other limb is not unfit to be a teacher.

By Order,

(Anil Garg)

Sachiv